

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा प्रस्तावित 'नवीन रणनीतिक EU-भारत एजेंडा'

संघ ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नवीन सामरिक एजेंडा पेश किया है, जिसमें पाँच प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को अंतिम रूप देना है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्त्व

- ❖ **राजनयिक संबंध:** भारत ने वर्ष 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के साथ संबंध स्थापित किये, जिन्हें वर्ष 2004 में सामरिक साझेदारी (Strategic Partnership) के रूप में आगे बढ़ाया।
- ❖ **व्यापारिक साझेदारी:** यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (€120 बिलियन, कुल व्यापार का 11.5%)।
- ❖ **सामरिक सामंजस्य:** भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और बहुपक्षवाद के रूप में समान हित रखते हैं। दोनों के बीच आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, प्रवासन आदि विषयों पर द्विपक्षीय संवाद भी होते हैं।
- ❖ **अवसररचना सहयोग:** भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) अर्द्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करती है।
- ❖ **वैश्विक शासन:** यूरोपीय संघ भारत के व्यापार विविधीकरण का समर्थन करता है और G20, WTO एवं UNSC जैसे मंचों पर नियम-आधारित व्यवस्था की वकालत करता है।

भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के स्तंभ



भारत-यूरोपीय संघ संबंध

अवरोध (Barriers)	आगे की राह (Way Forward)
FTA वार्ता में गतिरोध- यूरोपीय संघ की मांग (ऑटोमोबाइल, शराब, डेयरी पर कम शुल्क) बनाम भारत की मांग (दवा व आईटी सेवाओं की पहुँच)। CBAM से भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त चुनौती।	FTA व व्यापार सुविधा तेज़ करना- शुल्क विवाद सुलझाकर FTA शीघ्रता से लागू करना और विनिर्माण में यूरोपीय निवेश आकर्षित करना।
निवेश व विनियामक अवरोध- यूरोपीय संघ के व्यापार नियम एवं निवेश सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ। उदाहरण: स्विट्ज़रलैंड ने DTAA में MFN का दर्जा निलंबित किया।	डेटा-साझाकरण ढाँचा- यूरोपीय संघ-अमेरिका प्राइवैसी शील्ड जैसा समझौता, परस्पर मान्यता ढाँचे लागू कर अनुपालन लागत घटाना।
विदेश नीति मतभेद - रूस के साथ भारत के सैन्य अभ्यास व तेल खरीद, यूरोपीय संघ के प्रतिबंध संबंधी रुख से असंगत।	हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी- नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, विद्युत वाहन, कार्बन-न्यूट्रल टेक्नोलॉजी में सहयोग।
आपूर्ति श्रृंखला जोखिम- चीन पर अत्यधिक निर्भरता से भू-राजनीतिक तनाव व व्यवधान का खतरा।	सुरक्षा सहयोग सुदृढ़ करना- संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, साइबर सुरक्षा, खुफिया साझाकरण और इंडो-पैसिफिक रक्षा रणनीति का संरेखण।

भारत में पराली दहन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को तीन महीने के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया तथा केंद्र सरकार से पराली जलाने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

पराली दहन

ॐ यह सितंबर के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच धान की कटाई के बाद बचे हुए पुआल के दहन को संदर्भित करता है।

ॐ पराली जलाने का कारण:

- ❖ एकल फसल प्रणाली: MSP प्रणाली गेहूँ और धान को बढ़ावा देती है, जिससे किसान अगली फसल हेतु खेत जल्दी खाली करने के लिये खेत में बचे फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं।
- ❖ लागत-प्रभावशीलता: श्रेडर या बेलर जैसे अन्य निपटान तरीकों की तुलना में दहन करना कम खर्चीला होता है।
- ❖ खरपतवार प्रबंधन: आग से खरपतवार और बीज नष्ट हो जाते हैं, जिससे शाकनाशी (Herbicide) का उपयोग कम होता है।
- ❖ सीमित विकल्प: कंपोस्टिंग या बायोएनर्जी जैसे विकल्पों के लिये अवसंरचना और जागरूकता का अभाव है।
- ❖ जलवायु प्रभाव: असामान्य मानसून और बढ़ते तापमान के कारण फसल कटाई में देरी होती है, जिससे किसानों को जल्दी तैयारी हेतु पराली जलानी पड़ती है।

ॐ प्रभाव (Impacts):

- ❖ प्रदूषक उत्सर्जन: पराली जलाने से PM10, PM2.5, NOx, मीथेन, CO तथा VOCs जैसे हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं।
- ❖ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली गैसों में वृद्धि करता है।
- ❖ मृदा पर असर: मृदा में आर्द्रता, पोषक तत्व और सूक्ष्मजीवों की कमी हो जाती है, जिससे उर्वरता घटती है।

पराली दहन की समस्या के समाधान हेतु भारत की पहल

- CAQM रूपरेखा**
फसल अवशेष का प्रबंधन करती है, क्षतिपूर्ति के साथ दहन पर रोक लगाती है।
- SMAM उप-मिशन**
किसानों को मशीनरी के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप**
हैपी सीडर, पुसा डीकंपोजर, पेटेटाडिनेशन, बायोचार शामिल हैं।
- स्थानीय पहल**
उत्तीसगढ़ पराली को उर्वरक में बदलता है; पंजाब में मशीनरी ऐपस उपलब्ध हैं।

पराली दहन पर नियंत्रण में निहित चुनौतियाँ

- तकनीकी कठिनाई: कंबाइन हार्वेस्टर 10-15 सेमी. पराली छोड़ देते हैं, जिसे विशेष मशीनरी के बिना प्रबंधित करना मुश्किल है; कई कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) में पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध नहीं।
- नियामकीय अस्पष्टता: पराली जलाने की परिभाषा, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और अनुपालन के नियम अस्पष्ट व जटिल होने से किसानों पर अतिरिक्त बोझ।
- सीमित वित्तीय समर्थन: मशीनरी पर सीमित सब्सिडी और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कोष की कमजोर रूपरेखा।
- ज्ञान व प्रशिक्षण की कमी: धारणीय विकल्पों पर पर्याप्त प्रशिक्षण व जागरूकता न होने से किसान परंपरागत पद्धतियों पर निर्भर रहते हैं।

आगे की राह

- तकनीकी समाधान: फसल मानचित्रण (Crop Mapping), भंडारण एवं आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना, माइक्रोब पुसा डीकंपोजर और हैपी सीडर को बढ़ावा देना।
- फसल सुधार: अल्प-अवधि वाली धान की किस्में अपनाना; पराली को चारे, खाद और जैव-ईंधन में बदलना।
- प्रोत्साहन प्रणाली: पराली के लिये MSP (जैसा कि समिति ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने सुझाव दिया है) सुनिश्चित करना; गारंटीड मूल्य व वार्षिक बेंचमार्क दरें तय करना, ताकि लागत की भरपाई हो सके।
- रोज़गार आधारित मॉडल: मनरेगा जैसी योजनाओं में पराली की कटाई, खाद निर्माण और पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियों को शामिल कर किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देना।

भारत में संधारणीय शहरीकरण हेतु केरल मॉडल

केरल में शहरीकरण वर्ष 2050 तक 80% से अधिक होने का अनुमान है। संधारणीय शहरीकरण के लिये 25-वर्षीय रोडमैप के साथ केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) की स्थापना करने वाला पहला राज्य है। इसकी रिपोर्ट विकास, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता, शासन और वित्तीय सशक्तीकरण पर महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है।

भारत की शहरी जनसंख्या वर्ष 2036 तक 60 करोड़ (40%) तक पहुँच जाएगी, जो वर्ष 2011 में 31% थी, इस आबादी का शहरों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 70% योगदान होगा।

रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएँ

- ✍ **खतरों का मानचित्रण एवं उपयोग:** बाढ़, भूस्खलन और तटीय जोखिम जैसे खतरों का मानचित्रण एवं उसके आधार पर आपदा-प्रवण क्षेत्रों में विकास कार्य रोकना।
- ✍ **डिजिटल ऑब्ज़र्वेटरी:** नगरपालिकाओं के लिये LiDAR, सैटेलाइट डेटा और वेदर सेंसर पर आधारित डिजिटल ऑब्ज़र्वेटरी स्थापित करना।
- ✍ **हरित शुल्क व बीमा:** पर्यावरण-संवेदनशील परियोजनाओं पर हरित शुल्क लगाना तथा आघात सहनीयता बढ़ाने हेतु जलवायु बीमा लागू करना।
- ✍ **वित्तपोषण:** बड़ी शहरी नगरपालिकाओं द्वारा बॉण्ड जारी करना, जबकि छोटे शहरों में अवसंरचना के लिये पूल्ड बॉण्ड्स का उपयोग किया जाए।
- ✍ नगरपालिकाओं में निर्वाचित सिटी कैबिनेट और विशेषज्ञ टीम बनाना; शासन में युवाओं को शामिल करने हेतु 'ज्ञानश्री' पहल शुरू करना।
- ✍ **शहरों की अद्वितीय विशिष्टताओं का उपयोग:** शहरों की विशिष्टताओं को बढ़ावा देना (जैसे- कोच्चि को फिनटेक हब बनाना); साथ ही आर्द्रभूमि, जलमार्ग और धरोहर क्षेत्रों का पुनरुद्धार।
- ✍ **सिटी हेल्थ काउंसिल्स:** प्रवासी, विद्यार्थी आदि समूहों के लिये सिटी हेल्थ काउंसिल्स का गठन।
- ✍ **सामुदायिक सहभागिता:** मछुआरे, ठेला-फेरी वाले, जैसे समुदायों के अनुभवों को शहरी डेटा में शामिल कर भागीदारी आधारित योजना सुनिश्चित करना।

शहरी नियोजन हेतु केरल मॉडल

स्मरण सूत्र (MNEMONIC): KERALA

- ✍ **K – (Knowledge & Community Data) ज्ञान एवं सामुदायिक डेटा:** उपग्रह और सेंसर डेटा को नागरिकों के इनपुट के साथ संयोजित कर ऐसी नीतियाँ बनाना, जो वास्तविक जीवन की जरूरतों को दर्शाएँ।
- ✍ **E – (Elected & Specialist Governance) निर्वाचित एवं विशेषज्ञ शासन:** नौकरशाही जड़ता को दूर कर निर्वाचित सिटी कैबिनेट्स, विशेषज्ञ नगरपालिका प्रकोष्ठ और युवा टेक्नोक्रेट्स को बढ़ावा देना; समयबद्ध अर्बन कमीशन स्थापित करना।
- ✍ **R – (Resilience & Climate Integration) अनुकूलन एवं जलवायु एकीकरण:** आपदा मानचित्रण और अनुकूलन को नियोजन के प्रत्येक चरण का अभिन्न हिस्सा बनाना।
- ✍ **A – (Autonomy in Finances) वित्तीय स्वायत्तता:** नगरपालिकाओं को साझा बॉण्ड, ग्रीन फीस और जलवायु बीमा जैसे साधनों से वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।
- ✍ **L – (Livelihood & Land-sensitive Planning) क्षेत्रीय हब्स को प्रोत्साहित करना, साथ ही साझा संसाधनों, संस्कृति और धरोहर की सुरक्षा करना।**
- ✍ **A – (Awareness & Citizen Participation) जागरूकता एवं नागरिक भागीदारी:** स्वैच्छिकता, सामुदायिक सहभागिता और शहरी नियोजन निर्णयों में जन-सहभागिता को प्रोत्साहित करना।



इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फरवरी 2026 (नई दिल्ली) में होने वाले **इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट** के लिये **आधिकारिक लोगो** और **प्रमुख पहलों** का अनावरण किया। यह पहली बार होगा जब **ग्लोबल साउथ** का कोई देश इस आयोजन की मेज़बानी करेगा।

✍ प्रमुख पहलें:

- ❖ **AI पिच फेस्ट (UDAAN)-** टियर-2 और टियर-3 स्टार्टअप्स के लिये।
- ❖ **ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजेस-जनहित के मुद्दों के लिये AI-आधारित समाधान को बढ़ावा देना।**
- ❖ **AI एक्सपो-** नवीन तकनीकों और समाधान का प्रदर्शन।

✍ **आधिकारिक लोगो:** अशोक चक्र, जो कि न्यूरल नेटवर्क फ्लेयर्स (AI के रूपांतरणकारी प्रभाव का प्रतिनिधित्व) के साथ नैतिक शासन का प्रतीक।

ॐ समिट का सूत्र

- ❖ **People (जन):** AI सर्वसमावेशी हो, संस्कृति का सम्मान करे और सुलभ हो।
- ❖ **Planet (पृथ्वी):** AI संसाधन-कुशल, पर्यावरण-अनुकूल और सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।
- ❖ **Progress (प्रगति):** AI के लाभ समतापूर्ण होने चाहियें तथा प्रमुख क्षेत्रों में डेटा, कंप्यूटिंग और अनुप्रयोगों तक खुली पहुँच होनी चाहिये।

AI विकास के सात चक्र

एआई विकास के सात चक्र



MEITY की आठ FOUNDATIONAL AI मॉडल परियोजनाएँ



स्वच्छता ही सेवा 2025

सरकार ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं।

ॐ इस वर्ष की थीम 'स्वच्छोत्सव' है, जिसमें त्योहारों की भावना को स्वच्छता की जिम्मेदारी के साथ जोड़ा गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

ॐ प्रारंभ: SBM (ग्रामीण) और SBM (शहरी) का शुभारंभ 2014 में किया गया।

ॐ उद्देश्य: खुले में शौच से मुक्ति (ODF) और स्वच्छता में सुधार।

SBM-ग्रामीण	SBM-शहरी
<p>चरण I (2014-19):</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% स्वच्छता कवरेज हासिल। 10 करोड़+ घरेलू शौचालयों का निर्माण। सभी गाँवों को ODF घोषित किया गया। <p>चरण II (2020-25/26):</p> <ul style="list-style-type: none"> ODF स्थिति को बनाए रखना। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर बल। गाँवों को ODF Plus मॉडल में शामिल करना। 	<p>चरण I (2014-21):</p> <ul style="list-style-type: none"> सभी शहरों को ODF का दर्जा। 4,041 वैधानिक नगरों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन। <p>चरण II / SBM-U 2.0 (2021-26):</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 'कचरा-मुक्त शहर'। सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) 2030 में योगदान।